RBE No. 217/2002

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(D&A)2001 RG 6-58 28.11.2002

The General Managers(P),
All Indian Railways and Production Units etc.,
(As per Standard List).

Sub: Imposition of penalty of reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service for a specified period – Effect of penalty in the higher grade or post etc. on restoration of the railway servant to that higher grade or post on expiry of the penalty.

It has been brought to the notice of the Board by the NFIR that while imposing the penalty of 'reduction to a lower grade, post etc.,' for a specified period, the authorities use the terms 'cumulative or recurring effect', to convey the effect of the penalty in the higher grade or post, on restoration of the railway servant to that higher grade or post, on expiry of the penalty.

2. It has been alleged that in such cases the railway administration(s) also denies seniority in the higher grade or post in addition to the effect of the penalty on the future increments of the railway servant though the authority imposing the penalty has not given any specific direction that seniority shall also be affected on restoration of the railway servant to that higher grade or post after expiry of the penalty. Attention in this connection has been drawn to the instructions contained in Board's letter No. E(D&A)73 RG 6-5 dated 22.2.1974. These instructions which were issued in pursuance to discussions in the forum of JCM/DC lay down that in cases where the penalty of reduction to a lower grade or post etc. is imposed for a specified period and the order does not specify whether it has effect on seniority and increments in the higher grade or post on restoration of the railway servant to that higher grade or post, it should be assumed that the order will not have the effect on seniority or increments.

3. As the Railways are aware, in terms of Rule 6(vi) of RS (D&A) Rules, while imposing penalty of reduction to a lower grade or post etc., on a railway servant for a specified period, the authority imposing the penalty has also to pass directions regarding the effect of the penalty on the seniority and pay in the higher grade or post , on restoration of the railway servant to that higher grade or post after expiry of the penalty. The directions on seniority and pay are two separate ones and have to be passed independent of each other. For example, the authority imposing the penalty may order that the penalty will have the effect of postponing the future increments of pay of the railway servant in the higher grade or post on his restoration to that higher grade or post but will not affect his seniority in the higher grade or post and *vice versa*. Likewise, the authority imposing the penalty may order that the penalty will have effect on both the seniority and pay of the railway servant or that the penalty will have no effect either on seniority or pay of the railway servant in the higher grade or post on his restoration to the higher grade or post. However, in each case these two directions should be distinct and unambiguous. Where the authority imposing the penalty has not passed any specific directions regarding seniority or pay or both, of the railway servant in the higher grade or

...2/-

post, it will be held that the penalty will have no effect on seniority or increments or both, as the case may be, in the higher grade or post on restoration of the railway servant to that higher grade or post as laid down in Board's letter of 22.2.1974, referred to above. In view of the above, the railway administrations should also discontinue the practice, if any, on their system of using the terms 'cumulative or recurring' effect in the orders imposing the penalty of reduction to lower grade or post for a specified period as these terms are liable to mis-interpretation by the authorities responsible for implementing these penalties. The above position may please be brought to the notice of all concerned on your railway for information and compliance. Still, in spite of the position stated above, if any authority uses the term 'cumulative or recurring effect' while passing orders, the case may be resubmitted to the said authority advising him to pass fresh orders strictly in accordance with the provisions of Rule 6(vi) brought out above.

Please acknowledge receipt.

(K. Shankar)
Dy. Director Establishment(D&A)
Railway Board

No. E(D&A)2001/RG 6-58

New Delhi, dated 22.11.2002

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi (With 35 spare copies).

2. The General Secretary, NFIR 3 Chemsford Road, New Delhi (With 35 spare copies) with reference to Item No.33 of the PNM Meeting to be held in December 2002.

3. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

4. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi. (6 copies).

5. The Secretary General, FROA, Room No.256-A,Rail Bhawan, New Delhi. (6 copies).

6. M/s Bahri Brothers, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006, P.O.Box, No. 2032.

For Secretary/Railway Board

Copy to:

E(O)I, ERB-I, ERB-D, ERB-V, E(Rep)I, II & III, E(SCT) I & II, Vig-I, F(E)III and PR Branch of Railway Board's Office.

आर.बी.ई.सं. २१७ /2002

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डी एंड ए)2001 आर जी 6-58 नई दिल्ली, दिनांक 28-11-2002

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निचले समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति की शास्ति लगाना- शास्ति की कालावधि के अवसान पर उच्च ग्रेड अथवा पद में रेल सेवक की सेवा बहाल होने पर उस उच्च ग्रेड अथवा पद आदि पर शास्ति का प्रभाव.

एन एफ आई आर द्वारा बोर्ड के नोटिस में लाया गया है कि एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए 'निचले ग्रेड, पद आदि में अवनति' की शास्ति लगाते समय, संबंधित प्राधिकारी, शास्ति की कालावधि के अवसान पर उच्च ग्रेड अथवा पद में रेल सेवक की सेवा बहाली होने पर उस उच्च ग्रेड अथवा पद में शास्ति के प्रभाव को संप्रेषित करने के लिए 'संचयी अथवा आवर्ती प्रभाव' शब्दों का प्रयोग करते हैं.

2. यह आरोप लगाया गया है कि ऐसे मामलों में रेल सेवक की भावी वेतनवृद्धियों पर इस शास्ति का प्रभाव पड़ने के अलावा रेल प्रशासन उच्च ग्रेड अथवा पद में उसकी वरिष्ठता को भी नकारते हैं, जबकि इस शास्ति को लगाने वाले प्राधिकारी द्वारा इस बारे में कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिए जाते हैं कि शास्ति की कालावधि के अवसान पर उच्च ग्रेड अथवा पद पर रेल सेवक की सेवा बहाली होने पर उसकी इस उच्च ग्रेड अथवा पद में वरिष्ठता भी प्रभावित होगी. इस संबंध में बोर्ड के दिनांक 22.2.1974 के पत्र सं. ई (डी एंड ए) 73 आर जी 6-5 में समाविष्ट अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है. इन अनुदेशों, जिन्हें जे सी एम/डी सी के मंच पर हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में जारी किया गया था, में निर्धारित है कि उन मामलों में जिनमें एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निचले ग्रेड अथवा पद आदि में अवनति की शास्ति लगाई गई है

S Bohl

और यदि आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है कि उच्च ग्रेड अथवा पद पर रेल सेवक की सेवा बहाली होने पर उस उच्च ग्रेड अथवा पद में वरिष्ठता तथा वेतनवृद्धियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो यह माना जाए कि इस आदेश का वरिष्ठता अथवा वेतनवृद्धियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.

3. जैसा कि रेलें जानती हैं कि रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील नियम) के नियम 6(vi) के अनुसार, एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी रेल सेवक पर निचले ग्रेड अथवा पद आदि में अवनति की शास्ति लगाते समय, शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी को शास्ति की कालावधि के अवसान पर उच्च ग्रेड अथवा पद में रेल सेवक की सेवा बहाली होने पर उस उच्च ग्रेड अथवा पद में वरिष्ठता तथा वेतन पर इस शास्ति के प्रभाव के संबंध में भी निदेश जारी करने चाहिए. वरिष्ठता तथा वेतन संबंधी दिशा-निर्देश दो अलग-अलग मामले हैं और प्रत्येक के लिए अलग-अलग स्वतंत्र रूप से दिशा-निर्देश जारी किए जाने अपेक्षित हैं. उदाहरण के लिए, शास्ति लगाने वाला प्राधिकारी यह आदेश कर सकता है कि इस शास्ति का उच्च ग्रेड अथवा पद में रेल सेवक की बहाली पर उस उच्च ग्रेड अथवा पद में रेल सेवक के वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को विलंबित करने का प्रभाव पड़ेगा परंतु उस उच्च ग्रेड अथवा पद में उसकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसी प्रकार प्रतिक्रम में. इसके अनुरूप, शास्ति लगाने वाला प्राधिकारी यह आदेश कर सकता है कि इस शास्ति का रेल सेवक की वरिष्ठता तथा वेतन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा अथवा यह कि उच्च ग्रेड अथवा पद पर रेल सेवक की बहाली होने पर इस शास्ति का उच्च ग्रेड अथवा पद में रेल सेवक की वरिष्ठता अथवा वेतन किसी पर भी, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा. लेकिन, प्रत्येक मामले में ये दोनों दिशा-निर्देश अलग-अलग तथा सुस्पष्ट होने चाहिए. जिन मामलों में शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी ने उच्च ग्रेड अथवा पद में रेल सेवक की वरिष्ठता अथवा वेतन अथवा दोनों के संबंध में कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं तो यह माना जाए कि इस शास्ति का बोर्ड के 22.2.1974 के उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्च ग्रेड अथवा पद में रेल सेवक की सेवा बहाली पर उच्च ग्रेड अथवा पद में वरिष्ठता अथवा वेतनवृद्धियां अथवा दोनों, जैसा भी मामला हो, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निचले ग्रेड अथवा पद में अवनति की शास्ति लगाने वाले आदेशों में 'संचयी अथवा आवर्ती प्रभाव' शब्दों का उपयोग, यदि रेल प्रशासनों द्वारा अपनी रेलवे में किया जाता है, तो उन्हें इस पद्धति को बंद करना होगा क्योंकि इन शास्तियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों द्वारा इन शब्दों का गलत अर्थ

S.Bahl

लगाए जाने की संभावना होती है. कृपया उपर्युक्त स्थिति को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अपनी रेलवे में सर्वसंबंधितों के नोटिस में लाया जाए. तथापि, उपर्युक्त स्थिति के बावजूद भी यदि किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय 'संचयी अथवा आवर्ती प्रभाव' शब्द का उपयोग किया जाता है तो उस मामले को उक्त प्राधिकारी को इस परामर्श के साथ प्रस्तुत किया जाए कि वे कृपया नियम 6 (vi) में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से आदेश पारित करें.

कृपया पावती दें.

(के. शंकर)
उप निदेशक स्थापना (अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (डी एंड ए)2001 आर जी6-58 नई दिल्ली, दिनांक 28.11.2002

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 प्रतियों)

2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 प्रतियां) दिसंबर 2002 में होने वाली पी एन एम की बैठक की मद सं.33/2002 के संबंध में

3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण तथा राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 प्रतियां)

S Bisht

4. महासचिव, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (6 प्रतियां)

5. महासचिव, एफ आर ओ ए, कमरा नं.256 ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (6 प्रतियां)

6. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्किट, दिल्ली-110006 पोस्ट बाक्स नं.2032

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित:

बोर्ड कार्यालय की ई (ओ)I, ई आर बी-I, ई आर बी-(डी), ई आर बी-V, ई (रिप)I, II, व III, सतर्कता-I, ई (एस सी टी) I ,एवं II, ई (जी), पी आर एवं ई (पी एंड ए) शाखाओं को सूचनार्थ.